

स० स० 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
असारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक ...

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अंकित कुमार पिता- रंजीत दास ग्राम+पो०- बल्लीपुर थाना- हथौड़ी जिला- समस्तीपुर यूएचआईडी नं०- 105849404	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
2	जीनत प्रवीन पिता- मोहम्मद मुमताज ग्राम- अरई पो०- अरई बिरदीपुर थाना- सिमरी जिला- दरभंगा यूएचआईडी न०- 107842182	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	पनव अग्रहरी (Panav Agrahari) माता- चिन्मयी झा पिता- आशिष कुमार ग्राम- जी 04 आर एस अपार्टमेंट जमाल रोड एकजवीशन रोड पो०- जीपीओ थाना- गांधी मैदान जिला- पटना यूएचआईडी न०-107968560	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			9,80,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,80,000/- (नौ लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स०-

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002586... आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10874588593, खाता धारक का नाम- AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536),RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001536 मे अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाज

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 4/8(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002586 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक 11/2/2026  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/.एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
असारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक ....

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नासिर हुसैन पिता- अब्दुल मनान ग्राम+पो०- खैरी बाका थाना- बिस्फी जिला- मधुबनी यूएचआईडी न०- 108354588	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			3,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002586 .. .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० - 10874584010, खाता धारक का नाम- निदेशक, अ० भा० आ० सं०, खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जाय।
- यदि रवीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक

11/2/2026

ज्ञापांक

419(14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002586.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-01 / 2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक... ..

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	फरहाना खान पिता- इमामुद्दीन ग्राम- भवर पोखर पो0- बाकीपुर थाना- पीरबहोर जिला- पटना यूएचआईडी न0- 107333119	हृदय रोग एएसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	ललन प्रसाद शर्मा पिता- सिदेशवर सिंह ग्राम- बगोदर पो0+थाना- हिसुआ जिला- नवादा यूएचआईडी न0- 100846477	हृदय रोग डीडीडीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	शोभा कुमारी पति- उत्तम कुमार ग्राम- रसलपुर टोला करमडीह पो0- केरकी थाना- कोच जिला- गयाजी यूएचआईडी न0-108545944	हृदय रोग Cardiac Conduct Repair	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
			3,65,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,65,000 /-(तीन लाख पैंसठ हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता स0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 0.02.586. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 10874584269, खाता धारक का नाम-"AIIMS ANGIOGRAPHY PATIENT'S' ACCOUNT" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का

नाम—एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536) ,RTGS/IFSC कोड स0—S00N0001536 मे अतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/—

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 420(14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0. 002586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ सभी संबंधित मरीजों /आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

सो स० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  
नई दिल्ली-29 राष्ट्रीय कैंसर संस्थान  
झज्जर

पटना, दिनांक . . . . .

विषय.- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में लिये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अर्चना कुमारी पति- राजेश कुमार पाण्डेय ग्राम+पो०- चौरौवा थाना- बनियापुर जिला- सारण यूएचआईडी नं०- 108738052	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

नोट :- चेक "NCI PATIENT TREATMENT" के नाम से निर्गत है।

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000 /- (एक लाख) रुपये का क्रास चेक सो 002581.....  
.....मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत -- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन


ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 421(14)

पटना, दिनांक 11/2026

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ संबंधित मरीज /आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/प्रेषित।

  
10/2/26  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/.एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक/अधीक्षक  
इंस्टीच्युट आफ लीवर एंड  
बायलेरी साइंस, वंसतकुंज, डी०-1  
नई दिल्ली 110070

पटना, दिनांक ... ..

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.002.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सचिदा नन्द सिंह पिता- सकल सिंह ग्राम- चक अहमद भिखनपुरा (साउथ) कुयर सिंह कॉलोनी रामदयालु चक अहमद पो०- मुजफ्फरपुर थाना- सदर जिला- मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	विकाश कुमार पिता- रामप्रीत साह ग्राम- मोतीपुर पो०+थाना- ताजपुर जिला- समस्तीपुर	Chronic Liver Disease	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			2,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 00/586 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50100143852078 खाता धारक का नाम-“इंस्टीच्युट आफ लीवर & बायलेरी साइंस” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- एच०डी०एफ०सी० बैंक, शाखा का नाम-Site No-2,OCF pocket, sector C, Vasant Kunj. New Delhi-110070, ब्रांच, RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000273 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृतादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक

11/2/2026

ज्ञापाक

422(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002586...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख  
10/2/26

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
बत्रा अस्पताल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर  
1, तुगलकाबाद  
इंस्टीच्युटनल ऐरिया एम.बी.रोड  
नई दिल्ली 110062

पटना, दिनांक ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	इसरत खातून पति- मो० साबिर खान ग्राम- धनगावा पो०- बिजूबिगहा थाना- सीतामढी जिला- नवादा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000 / -	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं०- 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002586 .. . . . . द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 0629401000010 खाता धारक का नाम-"Batra Hospital & Medical Research Centre" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम- Punjab National Bank, शाखा का नाम- 45,46 & 47 Tughlakabad Institutional Ara. M.B. Road, New Delhi -110062, RTGS/IFSC कोड सं० PUNB0062910 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक


423(14)

पटना, दिनांक

11/7/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक  
फोर्टिस हेल्थ केयर लि०,  
शालीमार बाग, ए-ब्लॉक  
नई दिल्ली-110088

पटना, दिनांक . . . . .

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	उमेश साहू पिता- दिनेश साहू ग्राम- कमलदह पो०- लहवार थाना- रैयाम जिला- दरभंगा	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			3,00,000/-	

(चेक FORTIS HEALTHCARE LIMITED के नाम से निर्गत करना है।)

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000 /- (तीन लाख) रुपये का क्रास चेक सं०... 002582.....  
.....मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा AIIMS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौर के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष". खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 424 (14)

पटना, दिनांक

11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०..... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
10/2/26  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14 / एम 11-01 / 2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
मेदान्ता द मेडिसिटी,  
सेक्टर-38, गुरुग्राम, हरियाणा,  
पिन-122001

पटना, दिनांक ..

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	इजहार अली पिता- असगर अली ग्राम- मखदूम सराय पो०- सिवान थाना- सराय जिला- सिवान	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			1,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) ₹० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002586 ..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०-106905001433, खाता धारक का नाम- ग्लोबल हेल्थ प्रा० लि०, पेयबल- दिल्ली/गुडगांव, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-ICICI Bank, शाखा का नाम-, RTGS/IFSC कोड सं० ICIC0001148 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत

किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 425 (14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

**Narayana Superspeciality Hospital,  
Plot 3201, Block - V, DLF Phase - III,  
Sectro-24, Gurugram,  
Haryana 122002**

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **05.02.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथ अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मन्दू लाल पिता— मिश्री लाल ग्राम— रघुनाथ टोला पो०— अनीसाबाद थाना— गर्दनीबाग जिला— पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। (पूर्व में दिनांक— 28.01 2026 की बैठक में पचास हजार रूपये की स्वीकृति दी जा चूकी है)।
			<b>₹ 1,00,000 /</b>	

- उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 1,00,000 /-** (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० **002586** ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०— **36817516136**, खाता धारक का नाम— **Narayana Hrudayalaya Ltd**, खाते का प्रकार— **Current Account**, बैंक का नाम— **State Bank of India**, शाखा का नाम— **SME Branch, Howrah, RTGS/IFSC कोड सं०— SBIN0004150** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।**

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 426(14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0002586... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) /आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान सस्थान,  
राय बरेली रोड, लखनऊ,-226014

पटना, दिनांक ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शिव पूजन प्रसाद पिता- बद्री प्रसाद ग्राम- गोनियार पो०- उदन्त राय के बगरा थाना- थावे जिला- गोपालगंज सीआर नं०- 20251162441	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	ललिता पति- सुभाष यादव ग्राम- सुकदेव पट्टी पो०- बोधा छापर थाना- गोपालपुर जिला- गोपालगंज सीआर न०- 2024823694	अप्लास्टिक एनिमिया	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	जेनी श्रीवास्तव पिता- राजेश कुमार ग्राम- भी एम फिल्ड गिरी टोला वार्ड नं० 26 पो०+थाना- गोपालगंज जिला- गोपालगंज सीआर न०- 20251248270	ब्रेन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	शकीला बेगम मोहम्मद अनवारूल हक ग्राम- फतहां पो०+थाना- गोपालगंज जिला- गोपालगंज सीआर न०- 20251257434	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	सोनू कुमार पिता- सुधीर यादव ग्राम+पो0- निघवा थाना- कुर्था जिला- अरवल सीआर नं0- 2024682795	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	सन्नी कुमार पिता- वृजेश यादव ग्राम- झवठीया पो0- मच्छहा थाना- भितहॉ जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 2019563922	ब्रेन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
7	प्रमोद कुमार पिता- स्व0 हरिदयाल राय ग्राम- रामपुर बथानी टोला पो0- रामपुर थाना- गरखा जिला- सारण सीआर न0- 2024312707	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
8	प्रानजल शाही पिता- पंकजा कुमार सिंह ग्राम- चैनपुर पो0- चैनपुर हाटा थाना- हथुआ जिला- गोपालगज सीआर नं0- 20251255591	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	सारा खातून पिता- तौसीफ आलम ग्राम- छावनी पो0- बेतिया थाना- मनुआपुल जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 2023905230	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	सबा अबरार पिता- मोहम्मद अबहरार आलम ग्राम- तकिया याकूब वार्ड 02 पो0- गोपालगंज थाना- गोपालगज जिला- गोपालगज सीआर न0- 2023454341	TDM	40,000	चालीन हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
11	राजबाबू चौधरी पिता- लक्की बाबू चौधरी ग्राम- एतवारपुर जैती पो0- शर्फुद्दीनपुर थाना- बोचहा जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 20251268114	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

12	अम्बेश कुमार गुप्ता पिता- राम प्रसाद गुप्ता ग्राम- गॉधी नगर पो0- डेहरी ऑन सोन थाना- डेहरी जिला- रोहतास सीआर न0- 2022582985	हृदय रोग बीएमभी	45,000	पैतालीस हजार स्वीकृत।
13	रजनीश कुमार पिता- सुबाष प्रसाद ग्राम- मिसकरही मठिया भैरवा पो0- गैरवा थाना- मैरवा जिला- सिवान सीआर नं0- 2021384322	हृदय रोग सीएबीजी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
14	मतुरी कुमारी पति- सिधू कुमार ग्राम- काटा टोला देवाढ पो0- जमुनिया थाना- सहोदरा जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 20251155945	Rt. Lobe of Liver sol	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
15	बाबुद्दीन पिता- मोहम्मद नसीम ग्राम- जमाल हाता पो0- बाकरगज थाना- हुसैनगंज जिला- सिवान सीआर नं0- 2022982925	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	अभिषेक कुमार पिता- जितेन्द्र यादव ग्राम- गोरा धुसहॉ पो0- खजुहट्टी थाना- मांझी जिला- सारण सीआर नं0- 2025444095	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
17	अर्चना तिवारी पति- नरेंद्र तिवारी ग्राम- नरकटिया पो0- बरहरवा सिवान थाना- ढाका पी एस जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर नं0- 2016889288	Interstitial Pneumonia with Autoimmune features	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
18	विनोद राय पिता- स्व0 दयानंद राय ग्राम- नारेपुर पश्चिम पो0- बछवाडा थाना- बछवाडा जिला- बेगूसराय सीआर न0- 20231039258	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

19	काजमी खातुन पिता- अनु अली ग्राम+पो0+थाना- हुसैनगज जिला- सिवान सीआर न0- 2025989716	प्लास्टिक सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
20	शिवजी चौहान पिता- सीताराम चौहान ग्राम- रकबा खाप पो0- सोनगढवा थाना- श्रीपुर जिला- गोपालगंज सीआर न0- 20251066451	हृदय रोग एभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
21	मो0 अख्तर खान पिता- मो0 सफीक खान ग्राम+पो0- मुस्तफापुर थाना- अहियापुर जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 2024331733	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
22	सुनीता देवी पति- लालबाबू राय ग्राम- रक्सा वार्ड 01 पो0- रक्सा थाना- पानापुर जिला- मुजफ्फरपुर सीआर नं0- 20251006842	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
23	राजगीर साह पिता- स्व0 तुलसी साह ग्राम- महम्मदपुर कटसरी पो0- डुमरी कटसरी थाना- श्यामपुर भटहॉ जिला- शिवहर सीआर न0- 2025960794	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
24	लक्ष्मी देवी पति- राजगीर साह महम्मदपुर कटसरी पो0- डुमरी कटसरी थाना- श्यामपुर भटहॉ जिला- शिवहर सीआर न0- 20251068424	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
25	अल्का कुमारी पिता- शत्रुधन राय ग्राम- गिंजास पो0- जैतपुर थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 20241108096	Lupus Nephritis	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

26	प्रेम कुमार पिता- पुरन राम ग्राम- फतहपुर पो0- हरदी थाना- पारु जिला- मुजफ्फरपुर सीआर नं0- 2025274696	ACL Recoustyuction	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
27	प्रतिमा कुमारी पति- सतोष कुमार ग्राम- मोचारिम वार्ड 29 पो0- मोचारिम थाना- बोधगया जिला- गयाजी सीआर न0- 2025160566	Myelofibrosis	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
28	प्रमोद कुमार पिता- स्व0 हरिदयाल राय ग्राम- रामपुर बथानी टोला पो0- रामपुर थाना- गरखा जिला- सारण सीआर न0- 2024312707	हृदय रोग बीएमवी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
29	रामप्रकाश प्रसाद पिता- अर्जुन भगत ग्राम- गोरसार पो0+थाना- घोषी जिला- जहानाबाद सीआर न0- 2017008798	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।
30	उज्ज्वल कुमार पिता- शिवलाल सिंह ग्राम- मंगौली थाना- डालमियानगर जिला- रोहतास सीआर नं0- 2023132194	CA-Prostate	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
31	महेद्र कुमार सिंह पिता- राम नारायण सिंह ग्राम- शरीफपुर पो0- करहशी थाना- मुफ्फसिल जिला- बक्सर सीआर न0- 2017542817	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
32	अनिल कुमार पिता- राम सागर साह ग्राम- नगवा पो0- चकवाजा नगवां थाना- बेलसर जिला- वैशाली सीआर न0- 2026022397	ट्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
			33,80,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 33,80,000/- (तीतीस लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002586 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक

ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम-“निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस० पी०ई०डी० खाता” खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस०जी०पी०जी०आई०,RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 427(14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजो को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/2/26  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक, /अधीक्षक  
डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान  
संस्थान, गोमती नगर  
लखनऊ -226010

पटना, दिनांक-

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नन्दकिशोर प्रसाद पिता- राजेन्द्र प्रसाद ग्राम+पो०+थाना- गरखा जिला- सारण	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 022586.... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-6193000100005944, खाता धारक का नाम-MS DR.RMLIMS HOSPITAL ADMINISTRATION खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम-विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ RTGS/IFSC कोड सं०-PUNB0619300 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता के संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 428(14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002586.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
सर सुन्दर लाल अस्पताल,  
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस  
वाराणसी -221005

पटना, दिनांक .. .. .

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 05.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सोना देवी पति- विरेन्द्र पाडेय ग्राम- बघैला पो०+थाना- चाद जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न०- 8031502	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मनोरमा देवी पति- धनन्जय मिश्रा ग्राम- पिथनी पो०- ककरिया थाना- ईटाढी जिला- बक्सर एमआरडी न०- 8049103	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	पूनम देवी पति- हरेराम राय ग्राम- दुरासन पो०- डुमरी थाना- सिमरी जिला- बक्सर एमआरडी न०- 2821560	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	यमुना देवी पति- रंगबहादुर चौबे ग्राम- कपनी सराय काली सीन पो०+थाना- सासाराम जिला- रोहतास एमआरडी न०- 8040003	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।

5	हसबुन बिबी पति- बदरुदीन असारी ग्राम+पो0- करजी थाना- चैनपुर जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न- 6954069	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	उपेंद्र कुमार सिंह पिता- रामचंद्र सिंह ग्राम- न्यू डिलियां सम्बिका पथ कॉलोनी वार्ड 21 पो0+थाना- डेहरी जिला- रोहतास एमआरडी न0- 7676024	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	गूंजा देवी पति- श्याम बिहारी ग्राम- पदुमान बिगहा कोर्टल खाप पो0- नेयामतपुर थाना- डीबरा जिला- औरंगाबाद एमआरडी न0- 7990830	Spondelytys	65,000	पैसठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
8	रामअवध हजाम पिता- पुरुषोत्तम हजाम ग्राम- छावो पो0- कुडारी थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 8098499	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	रहिमन बेगम पति- मंजूर आलम ग्राम- रामगढ वार्ड 01 पो0+थाना- रामगढ जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 5769949	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	किरण देवी पति- कामेश्वर सिंह ग्राम- विकाश बिहार कॉलेनी पो0- धनौत थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना एमआरडी न0- 6163333	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	विनोद शर्मा पिता- रामबचन शर्मा ग्राम- मल्हीपुर वार्ड 10 पो0- ममरेजपुर थाना- चेनारी जिला- रोहतास एमआरडी न0- 8094286	हृदय रोग पीटीसीए	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।

12	सीमा देवी पति- रणजीत साह ग्राम- कबार पो0- कुडासन थाना- भभुआ जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी नं0- 7895252	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	ममिता देवी पति- अजनी प्रसाद ग्राम+पो0- चादमारी थाना- टाउन जिला- पूर्वी चम्पारण एमआरडी नं0- 7470586	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	शांति देवी पति- श्रीराम सिंह ग्राम- दुआरी वार्ड 11 पो0- मुंजी थाना- कारकाट जिला- रोहतास एमआरडी नं0- 6989188	ऑस्टियोआर्थराइटिस रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
15	शिव कुमार प्रसाद पिता- स्व0 बिहारी प्रसाद ग्राम+पो0+थाना- कोचस जिला- रोहतास एमआरडी नं0- 8014944	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	ब्यूटी कुमारी पिता- गौतम तिवारी ग्राम- गोपालपुर पो0- देवखैरा थाना- करगहर जिला- रोहतास एमआरडी नं0- 5052881	Epileptic Ceizure	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
17	मुन्नी देवी पति- प्रभु साह ग्राम+पो0- भोपतपुर थाना- कोटवा जिला- पूर्वी चम्पारण एमआरडी नं0- 5427023	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 17,15,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 17,15,000/- (सत्रह लाख पन्द्रह हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002586..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 27790100039150 खाता धारक का नाम- **Other-Patient Relief Fund BHU**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **Bank of Baroda**, शाखा का नाम- **BHU, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड सं0 BARB0BHUVAR में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृतादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- 5 चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक

429(14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक  
एपेक्स अस्पताल प्रा० लि०  
डी०एल० डबलु हाईडिल रोड,  
वाराणसी। 221004

पटना, दिनांक. . .

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	तिलकु विन्द पिता- नगीना बिन्द ग्राम- तियारा पो०- अखिनी थाना- रामगढ जिला- कैमूर भभुआ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सुदामा प्रसाद पिता- भिखारी प्रसाद ग्राम- पिठियाव पो०- डिही थाना- चेनारी जिला- रोहतास	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	गुलशन कुमार पिता- हरी नारायण सिंह ग्राम- जलालपुर पो०+थाना- करगहर जिला- रोहतास	Intraacetabulum Bony Fragenent Particular	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	गौतम सिंह पिता- बलि सिंह ग्राम- रोहतास पो०- धनेज थाना- करगहर जिला- रोहतास	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			<b>₹ 3,60,000</b>	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,60,000/- (तीन लाख साठ हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002586 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-36180579026, खाता धारक

का नाम— APEX WELCARE PVT, LTD खाते का प्रकार— , बैंक का नाम— स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम— SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH JAIL ROAD VARANASI RTGS/IFSC कोड स0-SBIN0009252 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 430(14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002586...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
होमी भाभा कैंसर अस्पताल  
घंटी मिल रोड, लहरतारा,  
ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा  
वाराणसी 221002

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सीमा श्रीवास्तव पति— राज किशोर श्रीवास्तव ग्राम+पो0— मुरला थाना— रामगढवा जिला— पूर्वी चम्पारण केस फाईल न०— 18एफ2024/012568	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	कचन देवी पति— सजय राय ग्राम+पो0— समरडीहा थाना— सासाराम जिला— रोहतास केस फाईल न०— 18एफ2025/014297	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	सुमन देवी पति— सजय कुमार बरनवाल ग्राम— अमवारी पो0— नदपुर अमवारी थाना— रघुनाथपुर जिला— सिवान केस फाईल न०— 18एफ2025/010401	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सलोनी देवी पति— कार्यानंद सिंह ग्राम+पो0— बालगुदर थाना— लखीसराय जिला— लखीसराय केस फाईल न०— 18एफ2025/022124	कैंसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	देवेश कुमार पिता- लक्ष्मी नारायण गुप्ता ग्राम+पो0- लोकमानपुर थाना- खरिक जिला- भागलपुर केस फाईल न0- 11एफ2024 / 035174	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	दीपक कुमार पिता- कैलाश प्रसाद यादव ग्राम- साउथ शास्त्री नगर मुंगेर पो0- मुंगेर थाना- कासिमबाजार जिला- मुंगेर केस फाईल न0- 16एफ2025 / 001214	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	चन्दन देवी पिता- स्व0 रासबिहारी सिंह ग्राम- मारुती नगर आरा पो0- आरा थाना- आरा जिला- भोजपुर केस फाईल न0- 18एफ2025 / 016385	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	दुर्गा सिंह पति- अम्बुजा कुमार ग्राम- रेडिया पो0- तेलारी थाना- चेनारी जिला- रोहतास केस फाईल न0- 18एफ2025 / 002347	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	रेखा देवी पति- विपिन कुमार सिंह ग्राम+पो0+थाना- केवटी जिला- शेखपुरा केस फाईल न0- 18एफ2025 / 022521	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	मोहम्मद हुसैन मिया पिता- जुनाब मिया ग्राम- दहवा पो0- तौलहा थाना- धनहा जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0- 18एफ2025 / 011889	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

11	नजीबुल्लाह पिता- शिमाबुदिन ग्राम- सिसई टोला भुखलछापर पो0- सिसई थाना- भोरे जिला- गोपालगज केस फाईल न0- 18एफ2025 / 020858	कैसर रोग	1,00,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	राहुल कुमार पिता- भरत यादव ग्राम- कोदरकट पो0- सिगरहिया थाना- बथनाहा जिला- सीतामढी केस फाईल नं0- 19एफ2025 / 007059	कैसर रोग	1,00,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	मो0 निजाम उद्दीन पिता- मो0 वाजिद अली ग्राम- चमेलीचक पो0- हबीबपुर थाना- हबीबपुर जिला- भागलपुर केस फाईल नं0- 18एफ2025 / 021556	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	परनव राय पिता- पिन्दु कुमार ग्राम- अधी बिगहा पो0- बन्तारा थाना- देवकुंड जिला- औरंगाबाद केस फाईल नं0- 18एफ2024 / 013533	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
15	आशा गुप्ता पति- अरविन्द कुमार गुप्ता ग्राम- मशरक मुन्नी मोर पो0+थाना- मशरक जिला- सारण केस फाईल न0- 18एफ2025 / 009828	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	रुकसाना खातून पति- शहाबुद्दीन मिया ग्राम- फखरुद्दीन पुर पो0- दीनदयालपुर थाना- जी बी नगर जिला- सिवान केस फाईल न0- 18एफ2023 / 007687	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

17	श्रेयस कुमार पिता- सोनू कुमार राय ग्राम- घोरपीठिया पो0- शाहजादपुर थाना- शाहकुण्ड जिला- भागलपुर केस फाईल न0- 16एफ2026 / 000105	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	दिलीप प्रसाद पिता- स्व0 गया पटेल ग्राम+पो0- नरेन्द्रपुर थाना- आन्दर जिला- सिवान केस फाईल न0- 18एफ2025 / 020570	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
19	कचन देवी पति- नन्द कुमार ग्राम- नियर बी डी पब्लिक स्कूल ईस्ट नवादा आरा पो0- आरा थाना- आरा नवादा जिला- भोजपुर केस फाईल न0- 18एफ2024 / 018572	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
20	मीना देवी पति- अरूण कुमार ग्राम- रजिस्ट्री बाजार पो0+थाना- सोनपुर जिला- सारण केस फाईल न0- केए / 02479	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
21	सुमन कुमार पिता- जवाहर सिंह ग्राम+पो0- धनगाई थाना- बिक्रमगज जिला- रोहतास केस फाईल न0- 16एफ2023 / 001118	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
22	सूरज कुमार पिता- सतोष कुमार साह ग्राम- सराव पो0- सगराव मगराव थाना- राजपुर जिला- बक्सर केस फाईल न0- 16एफ2026 / 000041	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

23	नीलम देवी पति- अभिषेक कुमार मिश्रा ग्राम- उकरेडी पो0- केवटलिया थाना- दरौली जिला- सिवान केस फाईल न0- 18एफ2025 / 007148	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
24	मास्टर रॉकी कुमार पिता- उमेश पासवान ग्राम+पो0- नारगा थाना- बेला जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 16एफ2024 / 001549	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	गीता देवी पति- रविद्र सिंह ग्राम+पो0- किलनी थाना- चांद जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0- 18एफ2025 / 016116	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
26	मजहरूल हक पिता- लेयाकत हुसैन ग्राम+पो0+थाना- रघुनाथपुर जिला- सिवान केस फाईल नं0- 18एफ2023 / 013466	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	प्रभावती देवी पति- शिव नाथ रगवा ग्राम+पो0- टारी थाना- रघुनाथपुर जिला- सिवान केस फाईल नं0- केडी / 81265	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	जगनारायण सिंह पिता- स्व0 दरोगा सिंह ग्राम+पो0+थाना- दरिहट जिला- रोहतास केस फाईल नं0- 18एफ2025 / 022569	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
29	सुमेश कुमार पिता- सुरज देव प्रसाद ग्राम- होरिल बिगहा पो0+थाना- दनियावां जिला- पटना केस फाईल न0- सीवी / 33227	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

30	असगर अंसारी पिता- रफीक अंसारी ग्राम- खिरीडीह वार्ड 12 पो0- भरपुरवा थाना- विजयीपुर जिला- गोपालगंज केस फाईल न0- 18 एफ 2025/021809	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत
31	सुनैना देवी पति- गणेश कुमार यादव ग्राम- खधरा वार्ड 08 पो0- दुल्लहपुर थाना- सिमरी जिला- बक्सर केस फाईल न0- 18 एफ 2025/009120	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
32	रानी देवी पति- अखिलेश बिन्द ग्राम- चिलबिली पो0+थाना- कुदरा जिला- कैमूर भमुआ केस फाईल न0- 18 एफ 2025/018406	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
33	अनिल प्रसाद सिंह पिता- मालेश्वर मडल ग्राम- लिक्खा पो0- रतनगंज थाना- सजौर जिला- भागलपुर केस फाईल नं0- केडी/06275	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
34	अराध्या कुमारी पिता- राजेश राम ग्राम- गम्हरिया वार्ड 13 पो0- गम्हरिया थाना- इसुआपुर जिला- सारण केस फाईल न0- 16 एफ 2026/000097	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
35	मुन्ना ठाकुर पिता- देव नारायण ग्राम- सोनाडीह पो0- बभनी थाना- करगहर जिला- रोहतास केस फाईल नं0- 18 एफ 2025/005109	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

36	मो० मोहतशम राजा पिता- मो० आजाद ग्राम- सोधो गुजलारबाग पो०- सोधोदुल्लाह थाना- गोरौल जिला- वैशाली केस फाईल न०- 19 एफ 2025/007365	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
37	सरीफन खातून पति- मो० नजीर मियां ग्राम- बडगाव हरबरन राय का टोला पो०+थाना- मैरवा जिला- सिवान केस फाईल न०- 16 एफ 2025/002012	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
38	पंकज कुमार राम पिता- सुरेश राम ग्राम- मिश्रवलिया पो०+थाना- डुमराव जिला- बक्सर केस फाईल नं०- केई/10896	कैंसर रोग	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
39	बिपिन खातून पति- मो० गुलाब ग्राम- सिंहपुर वार्ड 08 पो०- सिंहपुर थाना- आजमनगर जिला- कटिहार केस फाईल न०- 18 एफ 2025/021476	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
40	तेज नारायण सिंह पिता- जमुना सिंह ग्राम- जलालपुर पो०+थाना- करगहर जिला- रोहतास केस फाईल न०- 18 एफ 2025/022446	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			37,25,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 37,25,000/- (सैंतीस लाख पच्चीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002586.... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 3675632747 खाता धारक का नाम- होमी भाभा कैंसर हौस्पिटल, वाराणसी, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- Tata Memorial Cancer (TMC) Hospital, Varanasi, RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0285166 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधिमरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 431(14)

पटना, दिनाक- 11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002586 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14 / एम 11-01 / 2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
Care Hospital Care Treatment Centre (P) Ltd.,  
Bhikharipur, B.L.W., Sunderpur Road,  
Varanasi - 221004

पटना, दिनांक. . . . .

विषय— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	उमा शकर सिंह पिता— स्व० तिलकधारी सिंह ग्राम— बहेरा पो०— नसेज थाना— कुदरा जिला— कैमूर भभुआ	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रू० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002586 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०— 21040638381, खाता धारक का नाम— Care Treatment Center Pvt Ltd., खाते का प्रकार—, बैंक का नाम— INDIAN BANK, शाखा का नाम— Bhikharipur, Varanasi, RTGS/IFSC कोड सं० IDIB000B874 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत

किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

432(14)

पटना, दिनांक

11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख  
10/2/26

स० स० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
गंगा सेवा सदन हॉस्पिटल,  
चौदपुर चौराहा (कलेक्ट्री फार्म),  
बनारस बीड्स के पास,  
वाराणसी-221106

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 05.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	हिरा लाल प्रसाद पिता- केशव बिन्द ग्राम+पो०- सिकरियो थाना- दरिगाव जिला- रोहतास	हृदय रोग एमभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	मदन पाल पिता- नरेश पाल ग्राम- महादेवा पो०- सिकरियो थाना- दरिगाव जिला- रोहतास	कोकलियर इम्प्लांट	3,50,000	तीन लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	अशु कुमार पांडे पिता- जनार्दन पांडे ग्राम- समहउती पो०- कुड थाना- दिनारा जिला- रोहतास	कोकलियर इम्प्लांट	3,50,000	तीन लाख पचास हजार स्वीकृत।
			₹ 8,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,00,000/- (आठ लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002586 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 60515973070, खाता धारक का नाम- GANGA SEWA SADAN HOSPITAL, खाते का

प्रकार— **CURRENT ACCOUNT**, बैंक का नाम— **BANK OF MAHARASHTRA**, शाखा व नाम— **VARANASI**, RTGS/IFSC कोड सं०— **MAHB0001290** मे अतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- 5 चिकित्सा **CGHS** के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— **30121380424**, IFSC Code- **SBIN0006379**, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

433(14)

पटना, दिनांक

11/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० **002886** की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,  
निदेशक

**Indra Hospital**  
**Super Multi Speciality Hospital Pvt. Ltd.,**  
**Akhari Bypass, N.H.-2 Road,**  
**Varanasi 221011**

पटना, दिनांक .... ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- **05.02.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	रीमा कुमारी पिता- सतेद्र चौधरी ग्राम+पो0- मानिकपुर थाना- इद्रपुरी जिला- रोहतास	कोकलियर इम्प्लाट	3,50,000	तीन लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	रीता पाडेय पति- अरविन्द कुमार ग्राम- न्यू डिलिया पो0+थाना- डेहरी जिला- रोहतास	ब्रेन हेमरेज	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 4,50,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 **002586** ...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 **701720110000018**, खाता धारक का नाम- **INDRA HOSPITAL**, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- **BANK OF INDIA**, शाखा का नाम- **AKHARI, VARANASI**, RTGS/IFSC कोड स0- **BKID0007017** में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

434(14)

पटना, दिनांक

11/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14 / एम 11-01 / 2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
टाटा स्मारक अस्पताल,  
परेल, मुम्बई - 400012

पटना, दिनांक .

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दिलीप यादव पिता- बिगु यादव ग्राम- उबधी पो०- बखरी थाना- सिसवन जिला- सिवान केस फाईल न०- 11एफ2025/017654	बोन मैरो ट्रासप्लाट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
2	दिनेश प्रसाद पिता- बालगोविन्द महतो ग्राम- धरहरा पो०- बरनौसा थाना- वेन जिला- नालदा केस फाईल न०- 11एफ2025/019185	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	सावित्री कर्मकार पति- पतानु कर्मकार ग्राम- किशनपुर पो०- हेमकुज थाना- अमदाबाद जिला- कटिहार केस फाईल न०- 11एफ2025/026308	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	करुणा झा पति- राजेश्वर झा ग्राम- सालेहपुर पो०- मिरजानहाट थाना- हबीबपुर जिला- भागलपुर केस फाईल न०- 11एफ2025/018451	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।

5	रोक्साना बानो पति- मो0 असलम ग्राम- एरकी जहानाबाद पो0- जहानाबाद थाना- जहानाबाद नगर जिला- जहानाबाद केस फाईल नं0- 11एफ2025/022443	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
6	सजय शर्मा पिता- पत्ती शर्मा ग्राम- पाढी पो0- चॉद थाना- चाद जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0- सीवी/34218	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	अब्दुल रहमान पिता- इकबाल हुसैन ग्राम- नौतन पो0- गोहपुर बजरहियाँ थाना- जी बी नगर जिला- सिवान केस फाईल न0- 19एफ2024/000433	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	रेखा देवी पिता- तपेश्वर यादव ग्राम- भलुहार पो0+थाना- गुरुआ जिला- गयाजी केस फाईल नं0- सीयू/16091	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	अनिता देवी पति/पिता- शशिभूषण सिंह ग्राम+पो0- दौलतपुर सिमरी थाना- बिहटा जिला- पटना केस फाईल न0- सीएस/29417	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
10	बनिता देवी पति- गोपाल प्रसाद ग्राम- शाहगंज गली नियर पटना कोल्ड स्टोरेज पो0- महेन्द्रू थाना- सुल्तानगज जिला- पटना केस फाईल न0- 11एफ2025/023603	कैसर रोग	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत।
11	मुमताज अली पिता- आमिल हुसैन ग्राम- असदापुर वार्ड 04 पो0- जगरनाथा थाना- उचकागाव जिला- गोपालगज केस फाईल नं0- सीयू/16249	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	जया देवी पति- गणेश साह ग्राम- अकबरनगर वार्ड 04 पो0+थाना- अकबरनगर जिला- भागलपुर केस फाईल न0- 11एफ2025/010150	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख सवीकृत।
13	मनमोहन सिंह पिता- बैद्यनाथ सिंह ग्राम- महिन्दवारा वार्ड 02 पो0- जन्हादा थाना- महनार जिला- वैशाली केस फाईल न0- 11एफ2024/021007	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
			12,45,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,45,000/- (बारह लाख पैतालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान /अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 002586 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं 1002449683 खाता धारक का नाम- टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- टी0एम0एच0, RTGS/IFSC कोड सं 0284241 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छा लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 435(14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स०.002586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे ) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0 14 /एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज  
आई०डी०ए०, स्कुडर रोड  
पी० बी० न०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दिव्या देवी पति- कृष्णा कुमार साह ग्राम+पो०- मझौलिया थाना- मझौलिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीएमसी न०- एजे 80051	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	सीमा देवी पति- जितेंद्र कुमार ग्राम- कटारी हिल पो०- चदौती थाना- चन्दौती जिला- गयाजी सीएमसी न०- एके 88511	Incisional Hernia	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	अनीश कुमार चटर्जी पिता- साधन कुमार चट्टोपाध्याय ग्राम+पो०+थाना- सरमेरा जिला- नालदा सीएमसी न०- 921628 डी	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
4	शिव कुमारी पति- रामाश्रय यादव ग्राम+पो०- बैद्यनाथपुर थाना- रोसडा जिला- समस्तीपुर सीएमसी न०- एके 13273	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	बब्ली कुमारी पिता- धर्मेन्द्र कुमार राय ग्राम- हरहगी टोला पो0- राजापुर थाना- कोईलवर जिला- भोजपुर सीएमसी न0- एजे 63525	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत
6	नरेश प्रसाद पिता- लक्ष्मण महतो ग्राम+पो0+थाना- सरमेरा जिला- नालदा सीएमसी नं0- एएच 84314	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	साहिन परवीन पति- जमील अख्तर ग्राम+पो0- चैरोन थाना- सरमेरा जिला- नालदा सीएमसी न0- एजी 91779	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	देवती देवी पति- शिव शकर सिंह ग्राम+पो0+थाना- सरमेरा जिला- नालदा सीएमसी न0- एएच 72611	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	सूरज कुमार पिता- स्व0 मणि प्रजापति ग्राम- बडी मिसिया पो0- हुसेना थाना- सरमेरा जिला- नालदा सीएमसी न0- एएच 53612	हृदय रोग भीएसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
10	हर्षित कुमार पिता- सुबोध कुमार राय ग्राम+पो0- मारनपुर थाना- मोहनपुर जिला- गयाजी सीएमसी न0- एए 77339	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	सूरज बरनवाल पिता- शकर कुमार बरनवाल ग्राम+पो0- मारनपुर थाना- टिकारी जिला- गयाजी सीएमसी न0- एजे 17733	Robotic Pyeloplasty	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
12	निशा देवी पति- रामु मोदी ग्राम- विक्रमशिला कॉलोनी पो0+थाना- जगदीशपुर जिला- भागलपुर सीएमसी न0- 061916 एच	Right Ureteric Injury	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

13	सलमा खातून पति- इमामुद्दीन असारी ग्राम- ग्राम गादी तेलवा पो0- तेलवाबजार थाना- सिमुलतला जिला- जमुई सीएमसी न0- एएच 28437	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	जागिया देवी पति- पारो चौहान ग्राम- बरतरा पो0- पकरीवरवन थाना- पकरीबरावा जिला- नवादा सीएमसी न0- 947198 जी	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	महेद्र कुमार राम पिता- राजेद्र राम ग्राम+पो0- कटारी थाना- कोरमा जिला- शेखपुरा सीएमसी न0- एएच 81123	हृदय रोग पीटीसीए स्टेन्ट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	पुष्पा देवी पति- सजय यादव ग्राम- बचारखुर्द पो0- भादवा बाजार थाना- रफीगज जिला- औरंगाबाद सीएमसी न0- ईई 74983	स्पाईन सर्जरी	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत।
17	तबस्सुम प्रवीन पति- हकीम असारी ग्राम- चितौरा पो0- मुबारकपुर थाना- मेहुस जिला- शेखपुरा सीएमसी न0- 887529पी	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	तीतु राणा पिता- मेघलाल राणा ग्राम+पो0- सिमुआरा थाना- टिकारी जिला- गयाजी सीएमसी न0- 437028 पी	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
19	विश्वजीत कुमार पिता- विरेन्द्र गुप्ता ग्राम+पो0+थाना- गोविंदपुर जिला- नवादा सीएमसी न0- 836071 एच	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।

20	लिलावती देवी पति- वीरेन्द्र प्रसाद ग्राम+पो0- बल्लोपुर थाना- हलसी जिला- लखीसराय सीएमसी न0- एके 96767	बोन मैरो ट्रासप्लाट	3,50,000	तीन लाख पचास हजार स्वीकृत।
21	आकाश कुमार राणा पिता- जहाल राणा ग्राम- मुरारपुर पो0- कटारी थाना- कोरमा जिला- शेखपुरा सीएमसी न0- एएन 21865	बोन मैरो ट्रासप्लाट	3,50,000	तीन लाख पचास हजार स्वीकृत।
22	हरिलाल महतो पिता- बैजनाथ महतो ग्राम+पो0- गोपालपुर थाना- चानन जिला- लखीसराय सीएमसी न0- 703172 पी	बोन मैरो ट्रासप्लाट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
23	बिपिन कुमार पिता- इन्द्र देव ग्राम- पूर्वी मलाही पो0+थाना- बाढ जिला- पटना सीएमसी न0- एजे 99478	बोन मैरो ट्रासप्लाट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
24	सोनु राज पिता- बिन्देश्वरी मडल ग्राम- पिलुआ पो0- पिलुआ झरना थाना- बौसी जिला- बाका सीएमसी नं0- एएन 50588	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
25	गुलाम नवी आजाद पिता- मो0 इस्माइल ग्राम- पुरुषोत्तमपुर पो0- किसुनपुर मोहिनी थाना- कुढनी जिला- मुजफ्फरपुर सीएमसी न0- एआई 45267	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,50,000	दो लाख पचास हजार स्वीकृत।
26	मनोज कुमार साह पिता- बैद्यनाथ साह ग्राम+पो0+थाना- बेलहर जिला- बाका सीएमसी न0- एजी 29059	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,50,000	दो लाख पचास हजार स्वीकृत।

27	ओम प्रकाश सिंह पिता-श्रीकांत सिंह ग्राम-गोखुला पोस्ट-बिरहिमा बाजार थाना-बरुराज जिला-मुजफ्फरपुर सी०एम०सीन०- 204818 जी०	तूलीवर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
28	श्याम नन्दन यादव पिता-हरिहर प्रसाद यादव ग्राम-गौहर नगर पो०-सिकन्दरा थाना-सिकन्दरा जिला-जमुई सी०एम०सीन०-ए०जी० 85648	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
29	योगेन्द्र तिवारी पिता-चन्द्रशेखर तिवारी ग्राम-मानिक पारसी पोस्ट-गोरख पारसी थाना- काराकाट जिला- रोहतास सी०एम०सीन०-ए०के० 56420	हृदय रोग सी० ए०बी०जी०	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत
			45,75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 45,75,000/- (पैंतालीस लाख पचहत्तर हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 001586 ...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं-36889551846, खाता धारक का नाम- C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस०बी०आई०, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त'बिहार लोक माग वसुली अधिनियम' के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय  
मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

436(14)

पटना, दिनांक

11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख  
10/2/26

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
नारायणा सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,  
120/1, अदुल रोड़,  
हावड़ा-711103

पटना, दिनांक ...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सचिन कुमार पिता- श्याम सुन्दर पोद्दार ग्राम+पो०- नगरह थाना- नवगछिया जिला- भागलपुर	हृदय रोग एमभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	मो० इरशाद खान पिता- मो० वाहिद खान ग्राम- चित्रसेनपुर पो०- दौलतपुर थाना- आरा मुफ्फसिल जिला- भोजपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 2,30,000 /	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,30,000/- (दो लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड़, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002586 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-921030004381537, खाता धारक का नाम- मेरिडीयन मेडिकल रिसर्च, हौस्पीटल लि०, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-Axis Bank Ltd, शाखा का नाम-सी०बी०बी० बगलौर ब्रांच, हावड़ा वेस्ट बंगाल, RTGS/IFSC कोड स० UTIB 0001541 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक


11/02/2026

ज्ञापाक

437(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) /आई टी, मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,  
पोस्ट ग्रेजुएट इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन  
एड रिसर्च, चडीगढ- 160012

पटना, दिनांक . . .

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कन्हैया कुमार सिंह पिता- स्व० तपेद्र नारायण सिंह ग्राम- माधोपरा बसत विहार पो०- पूर्णियाँ मुख्य डाक घर थाना- के हाट जिला- पूर्णियाँ सीआर न०- 202504136593	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	सतोष कुमार पिता- स्व० सूरज देव प्रसाद ग्राम- सालीमपुर अरहा गली न०- 2 देवी स्थान काली मंदिर पो०- कदमकुआ थाना- गांधी मैदान जिला- पटना सीआर न०- 202503934372	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	सध्या कुमारी पिता- गणेश प्रसाद गुप्ता ग्राम- बेगमपुर आरा वार्ड 33 पो०- चौक आरा थाना- आरा नगर जिला- भोजपुर सीआर न०- 202503852880	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

4	रामबाबू पासवान पिता- राम इकबाल पासवान ग्राम+पो0- सेलरा थाना- जयनगर जिला- मधुबनी सीआर न0- 202503415932	गुर्दा प्रत्यारोपन	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। कोष परिस्थिति मे।
			10,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,00,000/- (दस लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं0- 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002586 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10413583830 खाता धारक का नाम-"डायरेक्टर,पी0जी0आई0 प्राइवेट ग्रान्ट ए0/सी0 " खाते का प्रकार- चालु बैंक का नाम- एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम- मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर-12, चंडीगढ RTGS/IFSC कोड सं0 01524 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुपयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 438(14)

पटना, दिनांक

11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलगन चेक सं0 002586 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार,पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/.एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
Ivy अस्पताल,  
हेल्थ लाईफ साईंस, सोहना  
सेक्टर-71 मोहाली  
पीन कोड-160071

पटना, दिनांक . . . . .

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बिनोद तिवारी पिता- बरिसटेर तिवारी ग्राम- पिठिआव पो०- डिही थाना- चेनारी जिला- रोहतास	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			₹ 3,00,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002586 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 011081400000091 खाता धारक का नाम- IVY HEALTH AND LIFE SCIENCES (P) LTD, खाते का प्रकार- CC ACCOUNT, बैंक का नाम- YES बैंक लि०, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं०- YESB0000110 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से

वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 439(14)

पटना, दिनाक— 11/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
10/2/26  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
रारोज गुप्ता कैंसर सेंटर एंड रिसर्च  
इं० महात्मा गांधी रोड, ठाकुर पुर  
कोलकता-700063

पटना, दिनांक . . . . .

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सारिका फातिमा पिता- मो० नेमतुल्लाह ग्राम- सन्हा पश्चिम पो०- सन्हा थाना- साहेबपुर कमाल जिला- बेगूसराय	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			रु० 80,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रु० ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) का क्रास चेक सं०.. 002583 ..... मूल रूप में सलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज

द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

440 (14)

पटना, दिनांक

11/2/2026

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / अर्द्ध. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अर्द्ध. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग

10/2/26  
निदेशक प्रमुख

सं० रा० 14 / एम 11-1 / 2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
कैंसर अस्पताल 3081, नयाबाद,  
कोलकता-700094

पटना, दिनांक

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	खुसनसी बेगम पिता- मो० मुश्फिक आलम ग्राम- बाघमारा पो०- सिघारी थाना- कोचाधामन जिला- किशनगज	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000 /-	

नोट- चेक- "Netaji Subhas Chandra Bose Cancer Hospital" के नाम से निर्गत है।

- उक्त अनुदान की कुल ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रूपया का क्रास चेक सं० 002587... मूल रूप में सलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉंग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय गौरव के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 441(14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
Desun Hospital & Heart Institute,  
Desun More, Kasba Golpark,  
E. M. Bypass, Kolkata - 700107

पटना, दिनांक . . . . .

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके रास्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के रागक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सरोजनी देवी पति— राघवेंद्र प्रसाद सिंह ग्राम+पो०— चटमाडीह थाना— शंभुगज जिला— बाका	ब्रेन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000/-	

नोट :- चेक “P N Memorial Neurocentre & Research Institute Ltd” Kolkata. के नाम से निर्गत।

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,00,000/- (एक लाख) का क्रास चेक सं० 002585 मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करवा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपराप्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक

11/2/2026

ज्ञापाक 442(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
**Centre for sight**  
**(a Unit of New Delhi centre for sight Ltd.),**  
**Banjara Hills Ashoka capital Building,**  
**Road No. 2 Hyderabad-500034.**

पटना, दिनांक . . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित वीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	मास्टर हिमाशु राज पिता- दिलीप राम ग्राम- नयकाडीह बिजुआ पो०- पिपरा थाना- डुमरिया जिला- गयाजी	कैसर रोग (नेत्र)	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002526 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता स0- 13458520000014 खाता धारक का नाम-New delhi Centre for sight Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम HDFC Bank Ltd. बैंक, शाखा का नाम S-4, Green Park Extn. New Delhi कोड स0 HDFC0001345 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापक ५५३(१५)

पटना, दिनांक ११/२/२०२६

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० ००८५८६ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख